प्रेस नोट

दिनांक 25.04.2025

थाना धानेपुर पुलिस द्वारा गो तस्करी करने के 02 आरोपी अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार, कब्जे से 01 अवैध तमंचा मय 01 अदद खोखा व 01 अदद जिन्दा कारतूस, 01 अदद चाकू व 01 अदद अपाची मोटरसाइकिल बरामद-

श्रीमान पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी सदर सुश्री शिल्पा वर्मा के नेतृत्व में थाना धानेपुर की पुलिस टीम द्वारा मु0अ0स0 -77/25, धारा 109 बीएनएस, 3/25 आर्म्स एक्ट, 3/5ए/8 गौवध अधि0, 11 पशु क्रूरता अधि0 से सम्बन्धित वांछित 02 आरोपी अभियुक्त 01. अब्दुल कलाम, 02. अब्दुल गफ्फार को बाबागंज बाजार के पास से गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 01 अवैध तमंचा मय 01 अदद खोखा व 01 अदद जिन्दा कारतूस, 01 अदद चाकू व 01 अदद आपाची मोटरसाइकिल बरामद किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 16/17.04.2025 की रात्रि एस0ओ0जी0 व थाना धानेपुर की संयुक्त टीम चोरी, लूट व नकबजनी की घटनाओं की रोकथाम हेतु रात्रि गश्त में रवाना होकर राधा स्वामी आश्रम के पास संदिग्ध वाहनों/व्यक्तियों की चेकिंग की जा रही थी। चेकिंग के दौरान एक ट्रक यू0पी0 51 ए0टी0 6988 संदिग्ध दिखायी दिया जिसको पुलिस टीम द्वारा रोकने का प्रयास किया गया तो उसने तेज रफ्तार से गाड़ी आगे भगा दी। जिसको पुलिस टीम द्वारा पीछा करते हुए घेराबन्दी कर पकड़ने का प्रयास किया गया। जिसमें ट्रक चालक द्वारा स्वयं को घिरता हुआ पाकर गाड़ी सड़क से नीचे उतार दी और पुलिस टीम पर भागते हुए फायरिंग कर दी। पुलिस द्वारा आत्मरक्षार्थ की गई जवाबी फायरिंग में शातिर गौ तस्कर/चालक शमशेर पुत्र इदरीश के पैर में गोली लगने से घायल/गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 01 अवैध तमंचा मय 02 अदद खोखा व 01 अदद जिन्दा कारतूस व 28 अदद गौवंशीय पशु ट्रक में लदे हुए बरामद किया गए।

आज दिनांक 25.04.2025 को थाना धानेपुर पुलिस टीम द्वारा वाछिंत अभियुक्त 01. 01. अब्दुल कलाम, 02. अब्दुल गफ्फार को बाबागंज बाजार के पास से गिरफ्तार कर कब्जे से 01 अवैध तमंचा मय 01 अदद खोखा व 01 अदद जिन्दा कारतूस, 01 अदद चाकू व 01 अदद आपाची मोटरसाइकिल बरामद किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना धानेपुर में अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण-

01. अब्दुल कलाम पुत्र फरजान अली निवासी बंजारनडिह कोनिया बनकट/प्रधानीगंज थाना धानेपुर जनपद गोण्डा।

02. अब्दुल कफ्फूर पुत्र मो0 रईस निवासी ग्राम देवरिया अलावल थाना धानेपुर जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0सं0-77/25, धारा 109 बीएनएस, 3/25 आर्म्स एक्ट, 3/5ए/8 गौवध अधि0, 11 पशु क्रूरता अधि0 थाना धानेपुर जनपद गोण्डा।

02. मु0अ0सं0-89/25, धारा 3/25, 4/25 आर्म्स एक्ट, थाना धानेपुर जनपद गोण्डा।

बरामदगी-

01. 01 अदद अवैध तंचमा 315 बोर मय 02 अदद खोखा व 01 अदद जिन्दा कारतूस बरामद।

02. 01 अदद अपाची मोटरसाइकिल (UP32NR4526) ।

<u>गिरफ्तारकर्ता टीम-</u>

01. प्रभारी निरीक्षक निर्भय नारायण सिंह थाना धानेपुर, जनपद गोण्डा।
02. उ0नि0 प्रशान्त कुमार
03. उ0नि0 अंकित यादव
04. हे0का0 अखिलेश राय
05. हे0का0 फहीमुद्दीन खान

<u>मीडिया सेल, गोण्डा।</u>

प्रेस नोट

दिनांक 25.04.2025

पुलिस अधीक्षक गोण्डा द्वारा जुम्मे की नमाज के दृष्टिगत स्वयं शहर क्षेत्र में भ्रमणकर कानून एवं सुरक्षा व्यवस्था की स्थिति का लिया जायजा, ड्यूटीरत पुलिस कर्मियों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश -

गोण्डा। आज दिनांक 24.04.2025 को पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा पर्याप्त पुलिस बल के साथ जुम्मे की नमाज के दृष्टिगत जनपद में कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने हेतु शहर क्षेत्र के संवेदनशील क्षेत्रों में लगातार भ्रमणशील/पैदल गस्त कर नमाज को शान्ति एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में सकुशल संपन्न कराया गया।

पुलिस अधीक्षक गोण्डा द्वारा शहर क्षेत्र के विभिन्न मस्जिदों आदि स्थानों पर पैदल गश्त/भ्रमण कर धर्मगुरूओं, नमाजियों, आमजन एवं राहगीरों से वार्ता कर सुरक्षा का एहसास कराया गया। यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ बनाये जाने हेतु सम्बन्धित अधिकारीगण को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। संवेदनशील स्थानों पर पुलिस बल का समुचित व्यवस्थापन, स्थानीय अभिसूचना इकाई द्वारा नजर रखी गई, सादे वस्त्रों में भी पुलिसकर्मी एवं महिला पुलिस की संयुक्त टीमों को लगाया गया। मिश्रित आबादी वाले क्षेत्रों पर सी0सी0टी0वी0 कैमरा एवं ड्रोन कैमरा से निगरानी रखी गई। सोशल मीडिया सेल द्वारा लगातार सोशल मीडिया के सभी प्लेटफार्म (ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सएप ग्रुप आदि) की निगरानी की गई। पुलिस अधीक्षक गोण्डा के निर्देशन में जनपद के समस्त राजपत्रित अधिकारियों एवं प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों द्वारा अपने अपने थाना क्षेत्रों में पड़ने वाली मस्जिदों पर पर्याप्त पुलिस बल की ड्यूटी लगाकर जुम्मे की नमाज को सकुशल सम्पन्न कराया गया।

इस दौरान अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत, प्रभारी निरीक्षक को0नगर सहित पर्याप्त संख्या में पुलिस बल के अन्य अधिकारी/कर्मचारीगण मौजूद रहे ।

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट
दिनांक 25.04.2025, को0 देहात
जनपद गोण्डा।

थाना को0देहात क्षेत्रान्तर्गत चोरी करने के 02 शातिर चोरों को किया गया गिरफ्तार, कब्जे चोरी 8300/- रूपये नगद बरामदः-

कार्यवाहीः-

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी नगर श्री आनन्द कुमार राय के नेतृत्व में थाना को0देहात पुलिस टीम द्वारा मु0अ0स0- 170/2025 व 171/2025 धारा 331(4), 305(A) बी0एन0एस0 से सम्बन्धित चोरी करने के 02 आरोपी अभियुक्तों 01. अनिल तिवारी व 02. चिरई उर्फ रजिंदर कुमार को खिरौरा मोहन रेलवे क्रासिंग स्थित हनुमान मन्दिर के पास से गिरफ्तार कर उनके कब्जे से चोरी की 8300/- रूपये नगद बरामद कर लिया गया है।

घटना का संक्षिप्त विवरणः-

वादी श्री पलटन पुत्र रामऔतार निवासी ग्राम धनई पट्टी बल्लीपुरवा थाना कोतवाली देहात जनपद गोण्डा द्वारा दिनांक 23.04.2025 को थाना को0देहात पर सूचना दिये कि उसके घर का दरवाजा तोड़कर अज्ञात चोरो द्वारा घर में रखे कीमती बस्तुए चोरी कर ले गये है। तथा वादी श्री हरिभानदत्त मिश्र पुत्र रामप्रताप मिश्रा निवासी ग्राम ठडक्कीपट्टी जिला गोण्डा द्वारा सूचना दिये कि दिनाकं 23.04.2025 की रात्रि में दुकान का सटर काटकर दुकान में घुसकर नगदी व अन्य समान चोरी कर ले गये है। तहरीर के आधार पर थाना को0देहात में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत गया था। आज दिनांक 25.04.2025 को थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा तकनीकी /मैनुअल साक्ष्यों के आधार पर चोरी करने के 02 आरोपी अभियुक्तों 01. अनिल तिवारी व 02. चिरई उर्फ रजिंदर कुमार को खिरौरा मोहन रेलवे क्रासिंग स्थित हनुमान मन्दिर के पास से गिरफ्तार कर उनके कब्जे से चोरी की 8300/- रूपये नगद बरामद कर लिया गया है। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्तगण के विरूद्ध थाना को0देहात पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्तगण-

01. अनिल तिवारी पुत्र अंजनी कुमार तिवारी निवासी ग्रा0 तिवारीपुरवा मौजा कंछर थाना विशेश्वरगंज जनपद बहराइच ।
02. चिरई उर्फ राजिंदर कुमार पुत्र शिवदीन निवासी ग्राम बहवा माधवपुर थाना कोतवाली देहात जनपद गोंडा ।

अनावरित अभियोग-

01. मु0अ0स0- 170/25, धारा 331(4), 305(A), 317(2) बी0एन0एस0 थाना को0देहात जनपद गोण्डा।
02. मु0अ0स0- 171/25, धारा 331(4), 305(A), 317(2) बी0एन0एस0 थाना को0देहात जनपद गोण्डा।

बरामदगी-

01. 8300/- रूपये बरामद।

गिरफ्तार कर्ता टीम-

01. उ0नि0 गोलू तिवारी
02. का0 देवनाथ यादव
03. का0 मणिकान्त उपाध्याय

<u>मीडिया सेल, गोण्डा।</u>